राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड
'निर्वाचन भवन'

न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, रॉंची – 834001

Website : secjharkhand.nic.in
Email : secjharkhand@gmail.com
फैक्सः 0651–2284002 / 2280287 / 2280932
दूरभाषः 0651–2284012 / 2284008

पत्रांकः–03नि0न0–06 / 2018 रा0नि0आ0...519 रॉंची, दिनांक...05/05/2020

आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ZA सहपठित 243K के अंतर्गत नगरपालिका के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने, निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है।

अनुच्छेद 243U खण्ड (1) में उल्लेखित है कि प्रत्येक नगरपालिका अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पाँच वर्ष तक की अवधि तक बनी रहेगी इससे अधिक नहीं तथा खण्ड (3) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार नियत 05 वर्ष के अवधि समाप्ति के पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाना है।

अर्थात् नगरपालिका के निर्धारित 05 वर्षों की अवधि समाप्ति के पूर्व ही नगरपालिकाओं का गठन करा दिया जाना संवैधानिक एवं वैधानिक कर्त्तव्य है।

झारखण्ड राज्य में कुल 8 नगरपालिकाओं, जिनका निर्वाचन मई–जून, 2015 में कराया गया था, की 05 वर्ष की नियत अवधि जून, 2020 में समाप्त हो रही है। साथ ही साथ नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा 06 नए नगरपालिकाओं के गठन की अधिसूचना किए जाने के उपरान्त उनका भी निर्वाचन मई–जून, 2020 में कराया जाना निर्धारित था। इसके अतिरिक्त 05 स्थानों एवं पदों पर रिक्ति उत्पन्न होने के कारण उप निर्वाचन कराया जाना निर्धारित था।

इस बीच समूचे विश्व सहित भारत में भी CORONA VIRUS (COVID-19) का संक्रमण का प्रसार हो जाने के कारण तथा WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के द्वारा इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। इसके संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए झारखण्ड सरकार के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश सं0–98 / HSN दिनांक 24.03.2020 के द्वारा दिनांक 31.03.2020 तक लॉकडाउन सम्पूर्ण राज्य में लागू किया गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्रांक 40–3 / 2020–DM–I(A) दिनांक 24.03.2020 के द्वारा 21 दिनों के लिए दिनांक 14.04.2020 तक सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन लागू किया गया। कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुनः पत्रांक 40–3 / 2020–DM– I(A) दिनांक 15.04.2020 द्वारा दिनांक 03.05.2020 तक लॉकडाउन 2.0 को विस्तार किया गया तथा पत्रांक

40–3/2020–DM–I(A) दिनांक 01.05.2020 द्वारा दिनांक 04.05.2020 से लॉकडाउन 3.0 को 14 दिनों के लिए अर्थात् दिनांक 17.05.2020 तक के लिए पुनः विस्तारित किया गया। इसके साथ ही COVID-19 के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए समूह में एकत्रित होना (Social gathering) पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने (Social distance) के अनुपालन हेतु निदेश है।

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 14 नगर निकायों एवं 05 स्थानों/पदों के उप निर्वाचन की तैयारी चरणबद्ध प्रारम्भ कर दी गई थी, परन्तु देशभर में लॉकडाउन की घोषणा होने के फलस्वरूप आयोग का निर्वाचन सम्पन्न कराने के निमित्त दिनांक 23.03.2020 से अंतिम चरण की तैयारी प्रभावित हो गई है।

नगरपालिका निर्वाचन में राजनैतिक दलों एवं निर्दलीय अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के सभी प्रक्रमों में भीड़भाड़ एवं समूह में एकत्रित होना सामान्य है तथा मतदान एवं मतगणना में भी जन भागीदारी होती है। इन सभी प्रक्रियाओं में सामाजिक एवं शारीरिक दूरी बनाए रखना लगभग असंभव है। ऐसा किया जाना कोविड–19 का संक्रमण नियंत्रित किए जाने संबंधी वर्त्तमान दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिनांक 04.05.2020 को राज्य सरकार के पदाधिकारियों जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह (कारा) विभाग, सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, पुलिस महानिरीक्षक तथा आयोग के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। उक्त बैठक में कोविड–19 से उत्पन्न विषम परिस्थिति में नगरपालिका निर्वाचन, 2020 को सम्पन्न कराने पर विचार–विमर्श किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उत्पन्न आपदा तुल्य परिस्थिति में निर्वाचन का कार्य जनहित में सम्पन्न कराना संभव नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के Civil अपील सं0 5756(2005) Kishan Singh Tomar Vs. Municipal Corporation of the City of Ahmedabad & Others के न्यायादेश 19.10.2006 के अनुसार विशेष परिस्थिति में जैसे प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकम्प या मानव निर्मित विषम परिस्थिति जैसे दंगा या विधि व्यवस्था आदि की गम्भीर समस्या उत्पन्न होने पर निर्वाचन कार्य को परिस्थिति सामान्य होने तक स्थगित करने संबंधी न्यायादेश है।

चूँकि COVID-19 WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के द्वारा महामारी घोषित किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में परिस्थिति को सामान्य होने तक नगरपालिका (आम एवं उप) निर्वाचन, 2020 जो मई–जून में होना निर्धारित था को स्थगित किया जाता है। महामारी की परिस्थिति सामान्य होने पर राज्य सरकार के परामर्श के उपरान्त नगर निकायों का चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए निर्वाचन सम्पन्न कराया जाएगा।

(एन0एन0 पाण्डेय) 5.5.2020
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।